न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 15/2016 (76 एल .आर. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00093

उनवान

हेती पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 22.07.2016 प्र.संख्या 44/2016 उनवानी हेती बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक– 02.01.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार वैर ने आराजी खसरा नंबर 459 रकबा 13 बीघा 10 विस्वा किस्म चारागाह वाके ग्राम भूतौली में से 03 बीघा भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिर्पोट के आधार पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि चारागाह है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से कथन यह रहा है कि सिविल कारावास की आज्ञा विधि विरूद्ध है क्योंकि अतिक्रमण की रिपोर्ट में पटवारी हल्का के बयान एवं विवादित भूमि के अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नही की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य एवं पटवारी हल्का के बयान नहीं कराये गये हैं, उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिपार्ट पटवारी हल्का में पश्चातवृति अतिक्रमी एव बयाना पटवारी में विवादित आराजी पर अतिक्रमी/अपीलाण्ट के द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट अंकित है। विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि है। जिस पर अतिक्रमी/अपीलाण्ट द्वारा बार–बार अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर तीन माह के सिविल जेल आदेश पारित किये हैं। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं।

6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से, अतिक्रमण हटा लेने एवं पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। चूंकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही है, जिसकी पूर्ति अपीलाण्ट की अन्डरटेकिंग से होती है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर को निर्देशित करना चाहेंगें कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में, गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट दिनांक 31.01.2018 तक भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दें, तो तीन माह सिविल जेल की सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा के क्रियान्वयन के साथ–साथ भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) अन्तर्गत भी कार्यवाही करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर